न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू :– 19.02.2021

मुकदमा नं0 :–09/2021

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

1. आरूष कुमार गर्ग पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद
2. श्रीमती सुनीता धर्मपत्नि गोविन्द प्रसाद
   जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. दिनेश पुत्र निहालसिंह जाति कश्यप
4. श्रीमती विद्या कश्यप पत्नि दिनेश चंद कश्यप जाति कश्यप निवासी तिलक नगर हीरादास भरतपुर जिला भरतपुर ———— प्रार्थीगण/आवेदकगण

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——— अप्रार्थी/ विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थितः– श्री रमेश चन्द गुप्ता एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिंनाक :– 14/03/2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध नं01 में दर्ज किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1100 रकबा वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन में स्थित थी, उक्त जमीन सिवायचक थी। उक्त जमीन में से विभिन्न लोगों को 0.80, 0.80 है0 जमीन कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित हुयी थी। इस खसरा नम्बर को 1100/1,1100/2, 1100/3, 1100/4, आदि कर दिये गये।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि उक्त जमीन में से सरकार द्वारा 0.80 है0 जमीन भीम पुत्र जमादार जाट निवासी जटनंगला को अलोट की गयी थी, जिसका मुख्त्यार आम जगदीश प्रसाद पुत्र [illegible] निवासी हरिया की कोठी हिण्डौन था। आवेदकगण [illegible] जमीन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आवेदकगण ने दिनांक 20.06.2020 [illegible] खरीद कर व विकीत धन राशि विक्रेता को अदा कर उक्त जमीन पर आवेदक[illegible] ने कब्जा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

लिया था और आजदिन भी आवेदकगण की जमीन 80 एयर जमीन पर कब्जा चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि ग्राम जटनंगला के ग्राम आरेनी का पुरा के अलग अलग रेवन्यू ब्लेज बन जाने से जिसका नामान्तकरण भरा जाकर पूर्व के खसरा नम्बर 1100/1 रकबा 0.80 है0 जिसका नवीन खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 है0 बना।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आवेदकगण की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 है0 में से एक रास्ता मुख्य सडक सूरौठ से हिण्डौन ग्राम आरेनी का पुरा की तरफ 30 फिट चौडा रास्ता जा रहा है जो कि लगभग नाप में रकबा 0.18 है0 होता है। जिस पर पूर्व में भी ग्रेवल सडक बनी हुयी है, इस प्रकार आवेदकगण का रकबा रास्ता बना हुआ होने के कारण 0.80 है0 में से घटकर 0.62 है0 ही रह जाता है, यानि आवेदकगण का 0.18 है0 कम रहता है। जबकि विकेता ने आवेदकगण को कब्जा पूर्ण रकबा 0.80 है0 पर दिया गया था। यानि मौके की तरमीम के अनुसार सही नहीं बनायी गयी।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में पूर्व की तरमीम किये हुए नक्शे को आराजी खसरा नम्बर 1100/1 जो साबिक नम्बर है के द्वारा दर्शाया गया है, जो ग्राम जटनंगला से ग्राम आरेनी का पुरा के अलग हो जाने पर नया खसरा नम्बर 1504/1100 बना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में उक्त आराजी 1504/1100 मौके के अनुसार रास्ते की तरमीम को भली भांति दर्शाया गया है, जिसे लाल रंग की लाईनों से मार्क आर से दर्शाया गया है, जो मौके पर चौडाई में 30 फिट है, यानि रास्ते का रकबा उक्त आराजी में 0.18 है0 होता है, यानि आवेदकगण की कुल आराजी 0.80 है0 में [illegible] के अनुसार केवल 0.62 है0 ही रह जाती है। यानि 0.18 है0 रकबा कम [illegible] जाता है [illegible] आवेदकगण का कब्जा मौके पर 0.80 है0 पर रास्ते की [illegible] कब्जा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि संलग्न नक्शा में नीली लाईन से प्रदर्शित जमीन जिसे मार्क ऐ से प्रदर्शित किया गया है, उस जमीन को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जो करीब 0.18 है0 होती है,उक्त जमीन को साबिक खसरा नम्बर 1514/1100में से घटाकर या काटकर साबिक खसरा नम्बर 1100/1 जिसका हाल खसरा नम्बर 1504/1100 होता है में जोडा जाना न्याय हित में आवश्यक है और इसी प्रकार नक्शा ट्रेस में भी तरमीम किया जाना आवश्यक है, उक्त जमीन 0.18 है0 रकबा बढ जाने से आवेदकगण की भूमि नक्शा ट्रेस में 0.80 है0 हो जाती है और हाल खसरा नम्बर 1504/1100 की स्थिति पूर्ण रूपेण सही हो जाती है। साबिक खसरा नम्बर 1514/1100 में होकर जो रास्ता 30 फिट चौडाई का आरेनी का पुरा को जा रहा है को गै0मु0रास्ता रकबा 0.18 है0 घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। आवेदकगण को उक्त गलती का पता मौके की जॉच पडताल एवं रेवन्यू सीट देखने पर पता चली। इस कारण यह प्रार्थना पत्र हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि तहसीलदार हिण्डौन को मौके पर भेजा जाकर मौके की वास्तविक स्थिति व वस्तुस्थिति रिकार्ड पर मंगवायी जाकर आवेदकगण के हाल खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 है0 में 0.18 है0 जमीन जो खसरा नम्बर 1514/1100 में से कम की जाकर आवेदकगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 1100/1 जिसका हाल खसरा नम्बर 1504/1100 में जोडा जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम फरमावें तथा खसरा नम्बर 1514/1100 व साबिक खसरा नम्बर 1100/1 में से जो रास्ता आरेनी का पुरा को 30 फिट चौडा मौके पर जा रहा है, उस रास्ते की जमीन को नया नम्बर कायम कर रकबा 0.18 है0 को गै0मु0 रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्ज फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद सं01 इस हद तक स्वीकार है कि आराजी साविक खसरा नम्बर 1100 सिवायचक वाके ग्राम जटनंगला तहसील [illegible] भिन्न भिन्न लोगों को 0.80, 0.80 है0 भूमि आवंटित की गई थी।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि [illegible] पत्र का मद नं02 इस हद तक स्वीकार है कि साबिक खसरा नम्बर 110[illegible] में से 0.80 है0 भूमि भीम पुत्र जमादार जाति जाट निवासी जटनंगला को आवंटित हुई थी। हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम जटनंगला सम्बत् 2072–75 खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 है0 आरूष कुमार गर्ग पुत्र गोविन्द प्रसाद हि01/4, सुनीता पुत्री गोविन्द प्रसाद हि01/4 जातियान महाजन निवासीयान हिण्डौन, दिनेश पुत्र निहाल सिंह हि01/4 विद्या कश्यप पत्नि दिनेश कश्यप हि01/4 जातियान कश्यप निवासीयान भरतपुर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 इस हद तक स्वीकार है कि जॉच रिपोर्ट मुताविक भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन ने अंकित किया है कि मुख्य सडक हिण्डौन से सूरौठ के नजदीक खसरा नम्बर 1504/1100 वाके ग्राम जटनंगला में से होकर एक रास्ता आरेनी का पुरा की तरफ 30 फिट चौडाई में जा रहा है, जिस पर ग्रेबल सडक बनी हुई है तथा रास्ता मौके पर चालू है। इसी खसरा नम्बर में ग्रेबल सडक से आगे ग्राम आरेनी का पुरा तक डामरीकृत सडक बनी हुई है, जो मौके पर चालू है। मौके पर ग्रेबल सडक का खसरा नम्बर 1504/1100 में निर्मित होने के कारण सडक का रकबा 0.18 है0 मूल रकबा 0.18 है0 में से कम होकर 0.62 है0 खातेदार का शेष रह जाता है, अन्य तथ्य स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 स्वीकार है ।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 इस हद तक स्वीकार है कि मुताविक जॉच रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन द्वारा अंकित मद संख्या में वर्णित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 इस हद तक स्वीकार है कि खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम जटनंगला में ग्रेबल सडक की भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर देने पर मुताविक जॉच रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन 0.18 है0 भूमि की क्षतिपूर्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ग्राम जटनंगला के लगेमा खसरा नम्बर 1514/1100 सिवायचक से किया जाना उचित है, अन्य तथ्य स्वीकार नहीं है।

विविध तथ्य – में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट में ग्राम जटनंगला स्थित खसरा नम्बर 1504/1100 से रकबा 0.80 है0 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है में से 30 फिट चौडाई में ग्रेबल सडक ग्राम आरेनी का पुरा तक आवागमन हेतु मौके पर है, मौके पर बनी हुई सडक से मुताविक जॉच रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन 0.18 है0 भूमि खातेदारी से कम है। इस रकबा को आमजन प्रयोजनार्थ गैर मुमकिन रास्ता प्रस्तावित करते हुए खातेदार को लगेम खसरा नम्बर 1514/1100 (साबिक खसरा नम्बर 1100/1) में से क्षति पूर्ति प्रार्थीगण को किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान किता–2, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी, फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2072–75, नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, पेश किये हैं।

अप्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल नक्शा ट्रेस तरमीमी नजरी किता 2,भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन की मौका रिपोर्ट दिनांक16.03.2021पेश की है।

वकील प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित।

वकील प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 में वर्णित तथ्यों को दौराहराया है एवं उक्त दुरुस्ती किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

वकील प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

फोटो प्रति नकल चालू जमाबन्दी दिनांक 19.06.2016 को जारी की गई वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन के अनुसार आराजी खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1504/1100 रकबा 0.80 है0 के खातेदारी के कॉलम में भीम पुत्र जमादार जाट गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन की खातेदारी भीम पुत्र जमादार हिस्सा पूर्ण जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन की खातेदारी आरूष कुमार गर्ग पुत्र गोविन्द प्रसाद हि01/4 जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन, दिनेश पुत्र निहालसिंह हि01/4 जाति कश्यप निवासी तिलक नगर हीरादास भरतपुर, विद्या कश्यप पुत्र दिनेश कश्यप हि01/4 जाति कश्यप निवासी तिलक नगर हीरादास भरतपुर, सुनीता पत्नि गोविन्द प्रसाद हि01/4 जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं की रिकार्ड व मौका अनुसार वस्तुस्थिति की रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

1. यह कि, ग्राम जटनंगला स्थित साबिक खसरा नम्बर 1100 सिवायचक था। जिसमें से विभिन्न लोगों को 0.80 है0–0.80 है0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित हुई थी। इस कारण साबिक खसरा नम्बर के नये 1100/1, 1100/2, 1100/3,1100/4 आदि बनाये गये। अतः प्रार्थीयान का कथन सही है।

2. यह कि, साबिक खसरा नम्बर 1100 में से रकबा 0.80 है0 भीम पुत्र जमादार जाति जाट निवासी जटनंगला को आवंटित हुई जिसको प्रार्थीयान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीदा गया। जिसका नया खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 है0 जो आरूष कुमार गर्ग पुत्र गोविन्द प्रसाद हि01/4 जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन, दिनेश पुत्र निहालसिंह हि01/4 जाति कश्यप निवासी तिलक नगर हीरादास

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

भरतपुर, विद्या कश्यप पुत्र दिनेश कश्यप हि01/4 जाति कश्यप निवासी तिलक नगर हीरादास भरतपुर, सुनीता पत्नि गोविन्द प्रसाद हि01/4 जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थीयान खातेदारान का ही कब्जा काश्त है, जो सही है।

3. यह कि, ग्राम जटनंगला से आरेनी का पुरा अलग राजस्व ग्राम बनने से खसरा नम्बर 1100/1 रकबा 0.80 है0 के बजाय नवीन खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 है0 तहरीर हुआ जो प्रार्थीयान की खातेदारी में दर्ज है।

4. यह कि, मौके पर खसरा नम्बर तरमीम 1100/1 रकबा 0.80 है0 द्वारा जमाबन्दी अनुसार 1504/1100 रकबा 0.80 है0 में से एक रास्ता मुख्य सडक सूरौठ हिण्डौन से आरेनिया का पुरा की तरफ 30 फुट चौडा जा रहा है, जिस पर ग्रेबल सडक बनी हुई है, सही है और रास्ता मौके पर चालू है तथा उक्त खसरा नम्बर से आगे आरेनिया का पुरा तक डामरीकृत सडक बनी हुई है। उक्त खसरा नम्बर में जिस भूमि पर ग्रेबल सडक बनी हुई है उसका रकबा 0.20 है0 के लगभग है।

5. यह कि, पूर्व में नक्शे की तरमीम किये नक्शे को खसरा नम्बर 1100/1 जो साबिक नम्बर है द्वारा दर्शाया गया है नया नम्बर 1504/1100 बना है जो बिन्दू सं0 3 में अंकित किया जा चुका है।

6. यह कि, मौके पर खसरा नम्बर 1504/1100 में जो ग्रेबल सडक चालू है वह पूर्वी मेंड के सहारे सहारे उत्तरी मेड पर होकर बनी हुई है। जिसको प्रार्थीयान द्वारा गहरी स्याही से दर्शाया [illegible] रास्ता की भूमि को छोडकर भी 0.80 है0 पर कब्जा सही होना [illegible]

7. यह कि, प्रार्थीयान का खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.8[illegible] में मौके पर ग्रेबल सडक की भूमि को गै0मु0रास्ता सिवायचक दर्ज कर[illegible] से प्रार्थीयान की कमी भूमि की क्षतिपूर्ति सिवायचक खसरा नम्बर 1514/1100 जो प्रार्थीयान के खसरा नम्बर से लगा हुआ है. उससे किया जाना सम्भावित है, जिससे आवागमन में आम लोगों को भी असुविधा नहीं रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 हे0 वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन पूर्व में भीम पुत्र जमादार हिस्सा पूर्ण जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसको जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रार्थीगण ने खरीद कर लिया है जो नकल जमाबन्दी सं0 2072-75 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 हे0 वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन की खातेदारी आरूष कुमार गर्ग पुत्र गोविन्द प्रसाद हि01/4 जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन, दिनेश पुत्र निहालसिंह हि01/4 जाति कश्यप निवासी तिलक नगर हीरादास भरतपुर, विद्या कश्यप पुत्र दिनेश कश्यप हि01/4 जाति कश्यप निवासी तिलक नगर हीरादास भरतपुर, सुनीता पत्नि गोविन्द प्रसाद हि01/4 जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है अर्थात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है। तहसीलदार हिण्डौन ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 इस हद तक स्वीकार है कि खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 हे0 वाके ग्राम जटनंगला में ग्रेबल सडक की भूमि को गै0मु0रास्ता दर्ज कर देने पर मुताविक जॉच रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन 0.18 हे0 भूमि की क्षतिपूर्ति ग्राम जटनंगला के लगेमा खसरा नम्बर 1514/1100 सिवायचक से किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट में ग्राम जटनंगला स्थित खसरा नम्बर 1504/1100 से रकबा 0.80 हे0 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है में से 30 फिट चौडाई में ग्रेबल सडक ग्राम आरेनी का पुरा तक आवागमन हेतु मौके पर है, मौके पर बनी हुई सडक से मुताविक जॉच रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन 0.18 हे0 भूमि खातेदारी से कम है। इस रकबा को आमजन प्रयोजनार्थ गैर [illegible] रास्ता प्रस्तावित करते हुए खातेदार को लगेमा खसरा नम्बर 1514/[illegible] ([illegible]क खसरा नम्बर 1100/1) में से क्षति पूर्ति प्रार्थीगण[illegible] [illegible] प्रतीत होता है। इस प्रकार तहसीलदार हिण्डौन ने [illegible] किये जाने में पूर्ण सहमति व्यक्त की है अर्थात तहसीलदार हिण्डौन उक्त इ[illegible] दुरूस्ती किये जाने में पूर्ण रूपेण सहमत है। एवं भू- अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 से स्पष्ट है कि मौके पर खसरा नम्बर तरमीम 1100/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 0.80 है0 द्वारा जमाबन्दी अनुसार 1504/1100 रकबा 0.80 है0 में से एक रास्ता मुख्य सडक सूरौठ हिण्डौन से आरेनिया का पुरा की तरफ 30 फुट चौडा जा रहा है, जिस पर ग्रेबल सडक बनी हुई है, सही है और रास्ता मौके पर चालू है तथा उक्त खसरा नम्बर से आगे आरेनिया का पुरा तक डामरीकृत सडक बनी हुई है। उक्त खसरा नम्बर में जिस भूमि पर ग्रेबल सडक बनी हुई है उसका रकबा 0.20 है0 के लगभग है। पूर्व में नक्शे की तरमीम किये नक्शे को खसरा नम्बर 1100/1 जो साबिक नम्बर है द्वारा दर्शाया गया है नया नम्बर 1504/1100 बना है। मौके पर खसरा नम्बर 1504/1100 में जो ग्रेबल सडक चालू है वह पूर्वी मेंड के सहारे सहारे उत्तरी मेड पर होकर बनी हुई है। जिसको प्रार्थीयान द्वारा गहरी पीली स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीयान का ग्रेबल रास्ता की भूमि को छोडकर भी 0.80 है0 पर कब्जा सही होना पाया गया। प्रार्थीयान का खसरा नम्बर 1504/1100 रकबा 0.80 है0 में मौके पर ग्रेबल सडक की भूमि को गै0मु0रास्ता सिवायचक दर्ज कर देने से प्रार्थीयान की कमी भूमि की क्षतिपूर्ति सिवायचक खसरा नम्बर 1514/1100 जो प्रार्थीयान के खसरा नम्बर से लगा हुआ है उससे किया जाना सम्भावित है, जिससे आवागमन में आम लोगों को भी असुविधा नहीं रहे। ऐसे हालात में प्रतिवादी तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त जबाव प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1514/1100 रकबा 2.5875 है0 में से रकबा 0.18 है0 खसरा नम्बर 1504/1100 के लगवां ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन का प्रार्थीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा खसरा नम्बर 1504/1100 रकवा 0.80 है0 में से रकबा 0.18 है0 गै0मु0रास्ता सिवायचक घोषित करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त इन्द्राज [illegible] तहसीलदार हिण्डौन ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। बल्कि भू–अभिलेख [illegible] रिपोर्ट एवं तहसीलदार हिण्डौन के जबाव प्रार्थना [illegible] किये जाने में उनकी सहमति स्पष्ट रूप से साबित [illegible] ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:31 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त जबाव प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1514/1100 रकबा 2.5875 है0 में से रकबा 0.18 है0 खसरा नम्बर 1504/1100 के लगवां ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन का प्रार्थीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा खसरा नम्बर 1504/1100 रकवा 0.80 है0 में से रकबा 0.18 है0 गै0मु0रास्ता सिवायचक घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ किये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त जबाव प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। जो निर्णय के साथ संलग्न रहेगा। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार एवं उक्त निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 14/03/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:31 IST
Reason: SelfAttested